राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः रालस/2015/B/22640-22674 दिनांक :– 21.01.2015

प्रेषिति :–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः–वरिष्ठ नागरिक/वृद्धजन को कानूनी सलाह एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के कम में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 8373–8407 दिनांक 2.7.2012

महोदय,

समाज में एकल परिवार व्यवस्था के प्रचलन एवं अन्य कारणों से काफी संख्या में वृद्धजन वृद्धाश्रम एवं रैन बसेरों में रहने पर विवश हैं साथ ही अनेको वृद्ध एवं लाचार व्यक्तियों को धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने को मजबूर होना पड़ रहा है।

राजस्थान सरकार ने राज्य वृद्धजन नीति बना रखी है, वृद्ध व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान राज्य वृद्ध कल्याण बोर्ड का गठन कर रखा है। वृद्धजनों की सुविधा सुरक्षा एवं कल्याण हेतु निम्न योजनाऐं प्रभावशील हैः–

- माता–पिता या वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत 60 वर्ष या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संतान से या उत्तराधिकार में उनकी संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से भरण–पोषण प्राप्त करने की व्यवस्था।

धारा 125 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत अपना भरण–पोषण करने में असक्षम माता पिता या पत्नी द्वारा अपनी संतान / पति से निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की सुविधा।

- 60 वर्ष व अधिक उम्र के पुरूष, 55 व उससे अधिक उम्र की पात्र महिला को वृद्धाश्रमों के माध्यम से उपलब्ध सुविधाऐं –

– भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा नियम 2004

– वृद्धाश्रम नियम 2006

– चिरायु योजना 2008

- 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरागॉधी राष्ट्रीय पेंशन योजना ।
- वृद्धजन / विधवा पेंशन योजना।
- मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना ।
- वृद्धावस्था पेंशन नियम 2013

<u>वृद्ध नागरिकों को प्रदत्त अन्य सुविधाऐं</u> :–

- ❖ न्यायालयों में लम्बित मामलों में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई।
- ❖ रेल व राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये में रियायत।
- ❖ आय कर में विशेष छूट।
- ❖ डाक विभाग व बैंकों द्वारा बचत पर अधिक ब्याज सुविधा।
- ❖ सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जॉच व ईलाज की सुविधा।
- ❖ पुलिस द्वारा असहाय वृद्धजन के शरीर, सम्पति व सम्मान की विशेषसुरक्षा एवं उनके विरूद्ध अपराध होने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही।

इस तरह वृद्धजनों के कल्याण के लिए अनेको योजनाऐं बनी हुई है, लेकिन जानकारी व कानूनी सहायता के अभाव में वे इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया प्रति माह प्रथम शुक्रवार (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को) जिला एवं ताल्लुका स्तर पर स्थित वृद्धाश्रम पर एवं प्रति माह द्वितीय शुक्रवार (अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को) को धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल/ गॉव/ ढ़ाणी/मोहल्लों में अलग-अलग स्थानों पर प्रासंगिक पत्र की पालना में गठित संबंधित विधिक जागरूकता टीम (दो पैनल अधिवक्ता एवं दो पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स) को भेजें जो उस स्थानों पर रह रहे वरिष्ठ नागरिकगण से व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क करें। उनको **"माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007,"** धारा-125 दण्ड प्रकिया संहिता एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बतायें, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करें, यदि वे इच्छुक एवं तत्पर हों तो सक्षम न्यायालय/अधिकरण के समक्ष निर्वाह भत्ता हेतु आवेदन करें एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करने में उनकी मदद करें।

सुलभ संदर्भ एवं सुविधा के लिये **"वरिष्ठ नागरिकों हेतु कल्याणकारी योजनाऐं"** नामक पुस्तिका संलग्न की जा रही है, जिसमें वृद्धजनों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु वांच्छित सामग्री उपलब्ध है जिसका उपयोग पैनल अधिवक्ता / पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स द्वारा किया जा सकता है।

यदि विधिक जागरूकता टीम का कोई सदस्य अनुपस्थित है या नियत दिन पर अपनी सेवा देने की स्थिति में नही है तो दूसरे उपलब्ध ईच्छुक पैनल अधिवक्ता/ पैरा लीगल वॉलेन्टीयर को भिजवाऐं।

प्रासंगिक पत्र के अनुसरण में उपरोक्त कार्यों के लिए प्रति दिन के हिसाब से पैनल अधिवक्ता को 500/- रूपये एवं पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को 250/- रूपये मानदेय का भुगतान करें साथ ही उनके द्वारा वाहन की व्यवस्था किये जाने पर 6/- (छः रूपये मात्र) प्रति किलोमीटर के हिसाब से आगमन पर खर्च की गई राशि का भी भुगतान करें।

वरिष्ठ नागरिकों की ओर से न्यायालय/अधिकरण में निर्वाह भत्ता हेतु याचिका पेश करने के एवज में नियमानुसार निर्धारित मानदेय का भुगतान करें।

मानदेय का भुगतान करने के पूर्व कृपया संबंधित वृद्धाश्रम के प्रभारी / वार्ड पार्षद/ पंच/सरपंच का निम्न प्रमाण पत्र प्राप्त करें :-

प्रमाणित किया जाता है कि विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण (1).....
.....(2).....(3).....(4).....
.....ने..... वृद्धाश्रम/धार्मिक स्थल/ सार्वजनिक स्थल/गॉव/मोहल्ला पर उपस्थित हुए और उन्होंने कुल..... वरिष्ठ नागरिकगण को उनके अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी एवं कानूनी सलाह / सहायता प्रदान की।

कृपया अपने स्तर पर निरन्तर समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि आपके न्यायक्षेत्र में एक भी वृद्धजन आवश्यक जानकारी या कानूनी सलाह/ सहायता के अभाव में अपने अधिकारों एवं उनके कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे।

कृपया विधिक सेवा के एक लिपिक से संलग्न प्रारूप में रजिस्टर संधारित करायें एवं इसी प्रारूप में 15 तारीख तक मासिक पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चत करें ताकि उसे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ रखा जा सके।

सादर!

भवदीय

19/11/15

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव,

झा/